

## कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या - 01/यो0ब0 (10) 2014 - 04 दिनांक-10/11/19

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरोपण कार्यों लिए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर क्रय समिति का गठन किया गया है। बदले हुए परिवेश में विभागीय मुख्यालय में वनरोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं को प्राप्त करने हेतु सरकारी परिपत्रों के आलोक में नियमानुसार निर्णय लेने के लिए वन विभागीय अधिसूचना सं0सं0-4/यो0 बजट-44/2015-686 व0प0, दिनांक 05.02.2016 द्वारा Procurement समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा दिनांक 14.12.2018 को आयोजित बैठक में पूर्व अनुमोदित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में वन कार्य नियोजना तैयार करने के लिए पुनरीक्षित कार्यदर की अनुशंसा की गई है। इस कार्यदर के अनुसार अनुमोदित राशि के अंतर्गत सामग्री एवं मजदूरी के लिए राशि का व्यय वित्त विभाग एवं वन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

| क्रम सं० | कार्य नियोजना                                                                                                                                                                                                                                          | इकाई    | वर्ष 2018-19 में मजदूरी दर में वृद्धि के आलोक में पुनरीक्षित दर (मजदूरी दर: ₹0 237.50 प्रति दिन), तथा सामग्री मद में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि की दर से राशि की गणना |         |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |         | मजदूरी                                                                                                                                                                 | सामग्री | कुल राशि (₹0 में) |
| I        | II                                                                                                                                                                                                                                                     | III     | X                                                                                                                                                                      | XI      | XII               |
| 1        | वन प्रमण्डल के अंश वन क्षेत्र से संबंधित सभी ग्रामों के नक्शों का संग्रहण, तैयार करना, स्टॉक मैप वन सर्वेक्षण से संबंधित प्रपत्रों की छपाई, लेखन सामग्री, सर्वे उपकरण आदि                                                                              | Per Ha. | 7.53                                                                                                                                                                   | 8.976   | 16.51             |
| 2        | कार्य समूह का चयन एवं तकनीकी प्रशिक्षण                                                                                                                                                                                                                 | Per Ha. | 9.41                                                                                                                                                                   | 1.9     | 11.31             |
| 3        | स्टॉक मैप, सैम्पल प्लॉट एवं एन्यूमरेशन कार्य:- इसके अन्तर्गत सघन वनों में 2 प्रतिशत एवं विरल वन क्षेत्र में रेकी सर्वे, आयु वर्ग, साईट क्वालिटी, घनत्व निर्धारण, इत्यसदि सहित वनाच्छादित भूमि, उजड़छें वन, वनरोपण, आदि की जानकारी का नक्शे पर चिह्नित। | Per Ha. | 61.19                                                                                                                                                                  | 0       | 61.19             |
| 4        | अनुश्रवण, आकड़ों का संकलन एवं कम्प्यूटरीकृत विश्लेषण:- स्टॉक मैप बनाने तथा एन्यूमरेशन कार्य का अनुश्रवण, आकड़ों का संग्रहण एवं कम्प्यूटरीकृत विश्लेषण।                                                                                                 | Per Ha. | 4.94                                                                                                                                                                   | 1.683   | 6.623             |
| 5        | स्टॉक मैप बनाना तथा उसकी प्रतियाँ तैयार करवाना।                                                                                                                                                                                                        | Per Ha. | 5.88                                                                                                                                                                   | 4.68    | 10.56             |
| 6        | रिपोर्ट मुद्रण                                                                                                                                                                                                                                         | Per Ha. | 2.35                                                                                                                                                                   | 1.87    | 4.22              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                     |                    |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 7  | वाहन एवं इंधन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Per Ha. | 0                   | 3.74               | 3.74                |
| 8  | विधि कार्य एवं कन्टीजेन्सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Per Ha. | 3.4                 | 1.49               | 4.89                |
| A. | <b>कुल योग (प्रति हे०)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | <b>94.70</b>        | <b>24.34</b>       | <b>119.04</b>       |
| B. | पर्यवेक्षण- प्रति वन प्रमण्डल चार अनुभवी तकनीकी प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान (4 Persons x 3 Month) 16800 x 4x3=201600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 2,01,600.00         | 0                  | 2,01,600.00         |
| C  | राष्ट्रीय कार्य नियोजना संहिता-2014 के अनुरूप कार्य नियोजना निर्माण हेतु आवश्यक 10 अध्ययन/सर्वेक्षण ( 2 JRF प्रति माह रु 25000 की दर से, 1 SRF प्रति माह रु 28000 की दर से एवं 1 Reserch Associate प्रति माह रु 35000 की दर से अध्ययन/सर्वेक्षण कुल 10 अध्ययन/सर्वेक्षण विषय सरणी में नीचे अंकित हैं)-<br>(42x25000x12= 600000,<br>1x28000x12= 336000,<br>1x35000x12= 420000) (Studies-Socio economic survey and assessment, Soil survey and assessment, Biodiversity assessment, Assessment of Non Timber Forest Produce including MAP, Assessment, Assessment of Forest Carbon Stock and Carbon Sequestration, Assessment of Bamboo/ Rattans, Soil Erosion vulnerability Assessment, Assessment of maintenance and enhancement of Social, Economic and Cultural benefits, Assessment of impact of Forest fires and vulnarabilty, Assessment of water resource management and impact) |         | 13,56,000.00        | 2,00,000.00        | 15,56,000.00        |
|    | <b>सकल योग (A+B+C) -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | <b>15,57,694.70</b> | <b>2,00,024.34</b> | <b>17,57,719.04</b> |

समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, का अनुमोदन प्राप्त है। यह अनुमोदित कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगी एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

ह० / -

(एस०एस० बघावन, भा०व०से०)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-39

दिनांक-10/11/19

प्रतिलिपि- :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्वद, झारखण्ड, राँची
5. प्रधान मुख्य, वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची
6. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी मुख्य वन संरक्षक
9. सभी वन संरक्षक
10. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
11. इन्चिस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।